भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4058

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई के तहत हिमाचल प्रदेश को आवंटन

4058. श्री सुरेश कश्यप:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अन्य योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2015-16 के दौरान आरंभ किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 76.03 लाख हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता और 77595 करोड़ की शेष अनुमानित लागत (31342 करोड़ रू. का केंद्रीय सहायता घटक) वाली चल रही निन्यानवे (99) बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों के साथ परामर्श करके प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें उनके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों सहित पूरा किया जाना है। सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से की राशि के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त-पोषण व्यवस्था भी अनुमोदित की है।

वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश में कोई भी जारी पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना नहीं है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) की स्कीमों के लिए सभी राज्यों हेतु वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 750 करोड़ रूपए का बजट परिव्यय है। एसएमआई स्कीम के अंतर्गत 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश को 124.96 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।

पीएमकेएसवाई-वाटरशेड विकास घटक तथा पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए 2019-20 के दौरान क्रमशः 29.75 करोड़ तथा 30 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के अंतर्गत राज्य को 18 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत 31.10.2019 तक राज्यों के पास 55.14 करोड़ रूपए की खर्च न हुई शेष राशि उपलब्ध है।

*****